कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला–रीवा (म0प्र0)

:आदेश:

रीवा, दिनांक 06 अगस्त, 2020

क्रमांक / 839 / प्रवा0कले0 / 2020::म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10–02 / 2020 / 2017 मेडी–2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष्य मे पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी / 2020 / 272 दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प्र. स / स्वास / सत्रह / मेडि–3 / 596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 धारा 71 (1) एवं 71(2) मे शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है।

1. मनगवां 'क्षेत्र मे पाए गए कोविड–19 संक्रमित पॉजिटिव केस के घरों की जानकारी निम्नानुसार है :–

स0क्र0	स्थान का नाम
01.	ग्राम–लौरी नंबर 1 के महापात्र टोला पटवारी हल्का–लौरी राजस्व निरीक्षक मण्डल–गढ तहसील–मनगवां जिला–रीवा (म0प्र0)

2. संबंधित व्यक्ति (01) सियाशरण साकेत पिता द्वारिका साकेत उम्र–25 वर्ष,उक्त पाजिटिव व्यक्ति को क्वारंटाइन सेन्टर चिरहुला रीवा में क्वारंटीन किया गया है। तथा उनके घर को Epicenter घोषित करते हुये ग्राम– लौरी नंबर 1 के महापात्र टोला (श्री रामपाल साकेत के घर से लेकर श्री द्वारिका साकेत के मडई तक) को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र पर अनिवार्यतः किया जावें।

, कोरोना महामारी के रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemices Diseases Covid-19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है।

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जनपद अधिकारी	पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारी
ग्राम– लौरी नंबर 1 के महापात्र टोला (श्री रामपाल साकेत के घर से लेकर श्री द्वारिका साकेत के मडई तक)	श्री ए0के0 सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी तहसील रायपुर कर्चु0 / मनगवां, मोबा0नं0 9479935839	सुश्री दीपिका पाव, प्रभारी तहसीलदार तहसील मनगवां, मोबा0 नम्बर 8103126683	श्री संतोष निगम, एस0डी0ओ0 पी0 मनगवां, .मोबा.नम्बर 9425707428	श्री अजीत तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव, मोबा.नम्बर 9425946536	श्री एस.बी. सिंह, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रायपुर कर्चु0 / मनगवां, मोबा.नम्बर 9425174259

कृ0प0उ0

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

04. कन्टेनमेन्द प्लान एवं कन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ0 वेद प्रकाश त्रिपाठी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0 स्वास्थ केन्द्र गंगेव–9424338208, नोडल अधिकारी रहेंगें। तथा सहा0 नोडल परियोजना अधिकारी एकीकृत–बाल विकास गंगेव श्रीमती सुधा त्रिपाठी–9131941132 रहेगी।

कंटेनमेन्ट ऐरिया:–

01. कन्टेनमेन्ट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेन्ट ऐरिया के समस्त निवासियो का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। संदर्भित कार्यालयीन आदेशो के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, उसका सही तरीके से क्रियान्चयन हो सकेगा। अतः कन्टेनमेन्ट ऐरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
02. कन्टेनमेन्ट ऐरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो को बाहर जाना प्रतिबंधित होगा।
03. कन्टेनमेन्ट ऐरिया हेतु सी0एम0एच0ओ0 द्वारा विशेष रैपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाईल यूनिट का गठन किया जायेगा, जो प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर हो।
04. उक्त क्षेत्र के एन्ट्री एक्जिट पांईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जावेगी।
05. समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन कार्यकर्ता/एपीसेन्टर से प्रति टीम पचास घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा मे रिपोर्ट डॉ0 वेद प्रकाश त्रिपाठी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0 स्वास्थ केन्द्र गंगेव–9424338208, को अनिवार्यतः उपलब्ध करायेगें।
06. समस्त टीम कोविड–19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं Covid-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खासी, स्वांस लेने मे तखलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
07. समस्त Covid-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय मे फैलने से रोका जा सकें।
08. जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है, उनका प्रतिदिन फालोअप लेना होगा। (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक कि सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिंव न आ जाये और रिजल्ट पाजिटिव आता है तो संबंधित के फर्स्ट कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फालोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
09. आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
10. जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाइजेसन किया जाना सुनिश्चित होगा।
11. सस्पेक्टेड केस आर.आर.टी./एम.एम.यू. द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हीत कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटेकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–रीवा (म0प्र0)

कृ0प0उ0

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पृ0क्रमांक / 839 /प्रवा.कले./2020 रीवा, दिनांक 06 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :

01. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
04. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल।
05. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
06. कमिश्नर रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
07. पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
08. पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील रायपुर कर्चु0/मनगवां की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रीवा।
15. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला रीवा ।
16. नगर पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रैपिड रिस्पान्स टीम एवं मेडिकल मोबाइल यूनिट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. स्टेनो/टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर रीवा।
19. सहायक संचालक, जनसम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।
20. संबंधी जन श्री .... की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–रीवा (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला–रीवा (म0प्र0)

:आदेश:

रीवा, दिनांक 06 अगस्त, 2020

क्रमांक/ 839 /प्रवा0कले0/2020:: म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10–02/2020/2017 मेडी–2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष्य मे पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272 दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प्र.स/स्वास/सत्रह/मेडि–3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 धारा 71(1) एवं 71(2) मे प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है। मै इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा (म0प्र0) निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी के रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम– लौरी नंबर 1 के महापात्र टोला (श्री रामपाल साकेत के घर से लेकर श्री द्वारिका साकेत के मडई तक) पटवारी हल्का–लौरी राजस्व निरीक्षक मण्डल–गढ तहसील–मनगवां को कन्टेन्टमेंट ऐरिया घोषित किया जाता है। कन्टेन्टमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के चारो ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन माना जाएगा, जिससे आई0 एल0 आई0 के मरीजों की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु निम्नानुसार अधिकारियो/कर्मचारियों के कर्तव्य निश्चित किये जाते है।

सर्वेक्षण दल

दल कमांक	नाम	पद नाम	मोबाइन नम्बर	वार्ड कमांक
01.	श्रीमती हेमलता हरिनखेडे	ए0एन0एम0	9111340829	महापात्र टोला
02.	श्री शिवेन्द्र तिवारी	सचिव	9179853102	

पर्वेक्षण दल

दल कमांक	नाम	पद नाम	मोबाइन नम्बर	वार्ड कमांक
01.	श्रीमती नीता मिश्रा	आशा कार्यकर्ता	9630785085	महापात्र टोला

रिजर्व दल

दल कमांक	नाम	पद नाम	मोबाइन नम्बर	वार्ड कमांक
01.	श्री अशोक पटेल	पटवारी	9424302726	महापात्र टोला

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गंगेव नियंत्रण कक्ष रहेगा। नियंत्रण कक्ष की सभी व्यवस्था डॉ0 वेद प्रकाश त्रिपाठी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0 स्वास्थ केन्द्र गंगेव–9424338208, एवं डॉ0 आदित्य सिंह सेक्टर चिकित्सा अधिकारी (7974048737) चिकित्सा अधिकारी सघन सर्वेक्षण में प्राप्त आंकडों का संकलन करेंगे। तथा उक्त कार्य का प्रशिक्षण दिनांक 06.08.2020 को ग्राम पंचायत कार्यालय लौरी में अपरान्ह 3.00 बजे से आयोजित होगा। प्रशिक्षण खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0के0 गंगेव एवं परियोजना अधिकारी कार्यालय परि0 कार्या0 म0वि0 गंगेव द्वारा दिया जावेगा।

(इलैयाराजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–रीवा (म0प्र0)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पृ0कमांक/ 839 /प्रवा.कले./2020 रीवा, दिनांक 06 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. कमिश्नर रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
04. पुलिस अधीक्षक महो0 जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चु0/मनगवां की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. रैपिड रिस्पान्स टीम एवं मेडिकल मोबाइल यूनिट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. तहसीलदार तहसील मनगवां की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सा0स्वा0के0गंगेव की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. थाना प्रभारी थाना मनगवां की ओर कृपया अपने स्तर से पुलिस बल तैनात करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
13. संबंधी अधिकारियो तथा कर्मचारियो की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-रीवा (म0प्र0)

Scanned with CamScanner